

# प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

## अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/163629/BJN/BIJNOR/1181/CFO

दिनांक: 29-06-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **GREEN LIGHT PUBLIC SCHOOL VILL SHERPUR ABHIPURA TEHSIL NAJIBABAD DISTT BIJNOR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **12 161 207,MANDAWALI TO NAGAL ROAD,VILL SHERPUR ABHIPURA** तहसील - **NAJIBABAD** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BLOCK	2	0	7.42 mt.

तथा प्लॉट एरिया **2266.60 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **GREEN LIGHT PUBLIC SCHOOL VILL SHERPUR ABHIPURA TEHSIL NAJIBABAD DISTT BIJNOR** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **04-07-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAVINDRA KUMAR** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **06-07-2025** से **05-07-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

**Note** : भवन को पत्राक-स-5 /CFO-स्कूल-48/2012 दिनांक 27-04-2012 द्वारा अग्निशमनसुरक्षासम्बन्धीअनापत्तिप्रमाणपत्र निर्गत है जिसका नवीनीकरण UID NO-UPFS/2021/38987/BJN/BIJNOR/272/CFO DATE23-10-2021 द्वारा कियागया है। जिसका पुत्रः नवीनीकरण शासनादेश सं0-18/छः-पुं-8-2022/905-34-201टी०सी० दिनांक 07-01-2022एवं उ0प्र0अग्निशमनतथाआपातसेवानियमावली-2024केउपबन्धों एवं FSSO नजीबाबाद की संस्तुति रिपोर्टकेआधारपरनिर्गतकियाजाता है अर्ह अभिकर्ता द्वारा वर्ष केजनवरी व जुलाईमाह में भवन मेंस्थापितअग्निशमन व्यवस्थाओ के कार्यशील होने का प्रमाण पत्रविभाग को प्रेषित करे।उ0प्र0अग्निशमनतथाआपातसेवानियमावली-2024 के नियम 40(5) केअनुसारसेटबैककाआंकलननहींकियाजारहा है।सेटबैक केसम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)  
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(AJAY KUMAR SHARMA)

[D8EA1A49D02BE05517D3180119D7E88BB2365486]

06-07-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 06-07-2025  
स्थान : BIJNOR